अपील सूचना अधिकार संख्या 75/2020 (GCMS 2020/00127) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(पोस्ट ऑडर क्रमाक 48एफ–310999) **बनाम अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर जरिये** 1. **आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर** 2. **तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>18.01.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर जरिये 1. आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 16.06.2020 से बारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी पर 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना एवं वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 8.1.2020 कार्यालय में पहुंचने एवं पत्र प्राप्ति की सूचना क्रमांक व दिनांक
2. पत्र पर की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यावाही की प्रमाणित प्रति।
3. श्रीमान् तहसीलदार श्री संजय कुमार अग्रवाल (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा मिथ्या सूचना [illegible] करवाने एवं दोषी कर्मकार श्री [illegible] में दी गयी सूचना का आधार व आरटीआई 2005 के नियम की जानकारी [illegible] नियम की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. प्रार्थी के पत्रांक 8.1.2020 के बिन्दु संख्या एक में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्री संजय कुमार अग्रवाल द्वारा मिथ्या सूचना देकर अपने पदीय कर्तव्यों के पालना में दुरूपयोग कर रहे बाबत सूचना
5. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 में अंकित तथ्य कि श्री ओमनाथ भाटिया दिनांक 22.6.2000 को तहसीलदार कार्यालय श्रीगंगानगर में हाजरी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करवाकर उसी दिन 22.6.2000 को उपपंजीयक कार्यालय में प्रार्थी के नाम की वसीयत को निरस्त करवाने हेतु उपस्थित हुए थे, इस बाबत सूचनां
6. श्री ओमनाथ भाटिया द्वारा 22.6.2000 का वेतन जो उठाता है उस राशि की सूचना व प्रमाणित प्रति वेतन की।
7 प्रार्थी के पत्रांक की चरण संख्या 3 में अंकित तथ्य कि श्री ओमनाथ भाटिया व श्री संजय अग्रवाल तहसीलदार का कथन है कि श्री ओमनाथ भाटिया तत्कालीन तहसीलदार (राजस्व) श्री गंगानगर से मौखिक आदेश से उप पंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर में गवाह के रूप में हस्ताक्षर करने व वसीयत कैन्सल करवाने हेतु उपस्थित हुआ था जबकि श्री करतार सिंह पूनियां ने अपने पत्रांक 1090 दिनांक 30.12.19 वर्तमान में अपीलीय अधिकारी ([illegible]) [illegible] ने कहा है कि वह दिनांक 22.6.2000 को तहसीलदार (राजस्व) पद पर आसीन नहीं थे इस विरोधाभासी व मिथ्या सूचना व विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति, पत्रांक 1090 दिनांक 30.12.19 की सूचना व प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

8. प्रार्थी के पत्रांक की बिन्दु संख्या 2 में अंकित तथ्य कि श्री ओमनाथ भाटिया का कथन है कि वह मेरे परिचित श्री सुभाष गोयल व उनकी माताजी की वसीयत सम्बन्धी दस्तावेज में गवाह के रूप में गवाही दर्ज करवाने हेतु उपस्थित हुआ था। अतः श्री सुभाष गोयल के माता जी का नाम व पता व वसीयती दस्तावेज की सूचना व निरस्त करवायी गयी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।
9. वसीयत निरस्त करवाने वाले श्री सुभाष गोयल की माता जी का स्वीकारोक्ति पत्र की सूचना व प्रमाणित प्रति।
10. प्रार्थी के पत्रांक 7317 दिनांक 11.03.2020 पर आपके विभाग की प्राप्ति पंजिका का क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
11. पत्र पर की गयी कार्यवाही की सूचना आज दिनांक तक की व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
12. कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।

तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक लेखा/2020/184 दिनांक 31.07.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है :

बिन्दु सं.	चाही गई सूचना	
1	प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 8.1.2020 कार्यालय में पहुंचने एवं पत्र प्राप्ति की सूचना क्रमांक व दिनांक	प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 8.1.2020 श्रीमान् जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

			कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो कि श्रीमान न्यायालय जिला कलक्टर महोदय के पत्रांक सीजी/वाचक/20/307 दिनांक 19.02.2020 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्ति क्रमांक 326 दिनांक 25.02.2020 प्राप्त हुआ।
	2	पत्र पर की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यावाही की प्रमाणित प्रति।	सूचना इस कार्यालय के पत्रांक स्थापना/2020/50 दिनांक 02.03.2020 द्वारा जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर को उपलब्ध करवा दी गयी।
	3	श्रीमान् तहसीलदार श्री संजय कुमार अग्रवाल (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा मिथ्या सूचना उपलब्ध करवाने एवं दोषी कर्मकार श्री ओमनाथ भाटिया के सम्बन्ध में दी गयी सूचना का आधार व आरटीआई 2005 के नियम की जानकारी व नियम की प्रमाणित प्रति।	प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय में उपलब्ध किसी रिकॉर्ड की प्रति नहीं चाही गई है। अतः सूचना के अधिकार में देय नहीं है।
	4	प्रार्थी के पत्रांक 8.1.2020 के बिन्दु संख्या एक में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्री संजय कुमार अग्रवाल द्वारा मिथ्या [illegible] देकन अपने पदीय कर्तव्यों [illegible] में दुरूपयोग कर रहे बाबत सूचना	प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय में उपलब्ध किसी रिकॉर्ड की प्रति नहीं चाही गई है। अतः सूचना के अधिकार में देय नहीं है।
	5	प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 में अंकित तथ्य कि श्री ओमनाथ	प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय में उपलब्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

			भाटिया दिनांक 22.6.2020 को तहसीलदार कार्यालय श्रीगंगानगर में हाजरी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करवाकर उसी दिन 22.6.2020 को उपपंजीयक कार्यालय में प्रार्थी के नाम की वसीयत को निरस्त करवाने हेतु उपस्थित हुए थे, इस बाबत सूचनां	किसी रिकॉर्ड की प्रति नहीं चाही गई है। अतः सूचना के अधिकार में देय नहीं है।	
		6	श्री ओमनाथ भाटिया द्वारा 22.6.2020 का वेतन जो उठाता है उस राशि की सूचना व प्रमाणित प्रति वेतन की।	प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय में उपलब्ध किसी रिकॉर्ड की प्रति नहीं चाही गई है। अतः सूचना के अधिकार में देय नहीं है।	
		7	प्रार्थी के पत्रांक की चरण संख्या 3 में अंकित तथ्य कि श्री ओमनाथ भाटिया व श्री संजय अग्रवाल तहसीलदार का कथन है कि श्री ओमनाथ भाटिया तत्कालीन तहसीलदार (राजस्व) री गंगानगर से मौखिक आदेश से उप पंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर में गवाह के रूप में हस्ताक्षर करने व वसीयत कैन्सल करवाने हेतु उपस्थित हुआ था जबकि श्री करतार सिंह पूनियां ने अपने पत्रांक 1090 दिनांक 30.12.19 वर्तमान में अपीलीय अधिकारी (आरएए) श्रीगंगानगर ने कहा है कि वह दिनांक 22.6.2020 को तहसीलदार (र[illegible]) [पद पर?] [illegible] नहीं थे इस विरोधाभीस [illegible] सूचना व किसके द्वारा [की?] [illegible] कार्यवाही की [illegible] प्रमाणित प्रति, पत्रांक 1090 दि[illegible]क 30.12.19 की सूचना व प्रमाणित प्रति।	प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय में उपलब्ध किसी रिकॉर्ड की प्रति नहीं चाही गई है। अतः सूचना के अधिकार में देय नहीं है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

8	प्रार्थी के पत्रांक की बिन्दु संख्या 2 में अंकित तथ्य कि श्री ओमनाथ भाटिया का कथन है कि वह मेरे परिचित श्री सुभाष गोयल व उनकी माताजी की वसीयत सम्बन्धी दस्तावेज में गवाह के रूप में गवाही दर्ज करवाने हेतु उपस्थित हुआ था। अतः श्री सुभाष गोयल के माता जी का नाम व पता व वसीयती दस्तावेज की सूचना व निरस्त करवायी गयी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।	प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय में उपलब्ध किसी रिकॉर्ड की प्रति नहीं चाही गई है। अतः सूचना के अधिकार में देय नहीं है।
9	वसीयत निरस्त करवाने वाले श्री सुभाष गोयल की माता जी का स्वीकारोक्ति पत्र की सूचना व प्रमाणित प्रति।	प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय में उपलब्ध किसी रिकॉर्ड की प्रति नहीं चाही गई है। अतः सूचना के अधिकार में देय नहीं है।
10	प्रार्थी के पत्रांक 7317 दिनांक 11.03.2020 पर आपके विभाग की प्राप्ति पंजिका का क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।	पत्र इस कार्यालय का प्राप्त नहीं हुआ है।
11	पत्र पर की गयी कार्यवाही की सूचना आज दिनांक तक की व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	बिन्दु संख्या 10 से सम्बन्धित है।
12	कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।	बिन्दु संख्या 10 से सम्बन्धित है।

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:30 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि तहसीलदार (राजस्व), [illegible] प्रार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है और सूचना [illegible] अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो <u>निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो</u> और**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी [illegible] की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर [illegible]

यह आदेश आज दिनांक 18.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:30 IST
Reason: SelfAttested